न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 60/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/159

प्रार्थी		अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।	**बनाम**	श्री असगर अली, निवासी डीडवाना शहर मैसर्स झंकार होटल कायम नगर डीडवाना शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थित:–

1. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. श्री असलम खां वकील अप्रार्थी की ओर से

<u>–:आदेश:–</u> दिनांक: 11.11.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 26.09.2024 को श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा डीडवाना शहर में कायम नगर स्थित मैसर्स झंकार होटल पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री असगर अली निवासी डीडवान उपस्थित मिलें, जिन्होनें दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके पर दुकान में 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरूपयोग/भण्डारण [illegible] हुआ पाया गया। श्री असगर अली से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय [illegible] किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर [illegible] पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज [illegible] अनुज्ञापत्र नहीं होना [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:10:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

श्री असगर अली द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसर है:–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	एचपीसीएल	960177	0
2.	एचपीसीएल	408028	1 किग्रा

उपरोक्त 02 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स अस्मा गैस सर्विस डीडवाना के प्रतिनिधि श्री अशोक कलवानिया की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री असगर अली का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री असलम खां ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि होटल संचालक श्री असगर खां के होटल पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर प्राप्त हुए। श्री असगर खां के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व असगर खां ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर मैसर्स असमा गैस सर्विस डीडवाना के प्रतिनिधि श्री अशोक कलवानियां को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेल गैस सिलेण[illegible] गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Con[illegible]cation) के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:10:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री असगर खां के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 02 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:10:57 IST
Reason: SelfAttested